भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1078

दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विशेषज्ञ डॉक्टरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात करना

†1078. श्री बिष्णु पद रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संसद सदस्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा/केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संवर्ग से विशेषज्ञ चिकित्सकों की दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में रोटेशन आधार पर तैनाती/प्रतिनियुक्ति के संबंध में बार-बार चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो द्वीपवासियों की तत्काल स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मांगों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति या तैनाती कब तक किए जाने की अपेक्षा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) रिक्तियों के आधार पर, यूपीएससी को अधियाचनाएँ भेजी जाती हैं और यूपीएससी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित करता है और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तियों से संबंधित चिंताओं का संज्ञान लिया है और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को रिक्त पदों पर एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित भर्तियाँ होने तक, जो भी पहले हो, संविदात्मक नियुक्तियाँ करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती भी रोटेशनल आधार पर की गई है।
